न्यायालय, भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद संख्या – 23/2022–23

मोहन यादव वगैरह.. प्रथम पक्ष/अपीलार्थी

बनाम

मोहन तिवारी .... द्वितीय पक्ष/विपक्षी

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>आदेश</th><th>अभियुक्ति</th></tr>
<tr><td>11.01.2025</td><td>
अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत अभिलेख कार्यालय, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का वाद सं0 – 64/2021 में दिनांक 06.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक – 23.02.2023 को सुनवाई हेतू ग्रहित/स्वीकृत किया गया। उभय पक्षों की उपस्थिति के बाद बहस हेतू निर्धारित किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस सविस्तार सुना गया। तन्दोपरांत, अभिलेख को आदेशार्थ रखते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।
<u>प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्न है:–</u>
<table>
<tr><th>मौजा</th><th>थाना सं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td>दुन्दु</td><td>187</td><td>19</td><td>331,333,334,335,336,337,338,341
342,343,344,345,347</td><td>5.72 एकड़</td></tr>
</table>
<u>अपीलार्थी/प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन:–</u>
प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा का वाद सं0 – 64/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 के विरूद्ध लाया गया है। प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में मसोमात शनिचरी ग्वालीन पति चुरामन ग्वाला के नाम दर्ज है, उक्त प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयत अपने जीवन काल मे दखल काबिजकार रहे तथा जमीन्दार के लगान देकर जमीन्दारी लगाान रशीद निर्गत कराए, तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात खतियानी रैयत के नाम डिमाण्ड खुला व सरकारी रशीद निर्गत हुआ।
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

खतियानी रैयत शनिचरी ग्वालीन अपने पीछे दो पुत्रों मेघु यादव एवं कृत यादव को छोड़कर मरी। मेघु यादव अपने पीछे चार पुत्रगण मोहन यादव, रामजी यादव, कमलेश यादव, उमेश यादव को छोड़कर मरे तथा अपने पिता के मरणोपरांत प्रश्नगत भूमि पर संयुक्त रूप से आवेदकगण दखल काबिजकार हुए। आगे बताया कि खतियानी रैयत का प्रश्नगत भूमि कभी भी निलाम या इस्तीफानामा नही हुआ। उक्त प्रश्नगत भूमि का फर्जी कागजात बनाकर जमीन को विपक्षीगण हड़पना चाहते है। अचंल अधिकारी ने आवेदक गण के कागजातों का बिना सुक्ष्म अवलोकन के ही आदेश पारित किया है। अतः अंचल अधिकारी द्वारा वाद सं0 – 64/2021 में पारित आदेश 06.04.2022 को निरस्त करते हुए आवेदकगण के पक्ष में जमाबंदी खोलने का आदेश दिया जाय।

<u>विपक्षी की ओर से लिखित जवाब व बहस में बताया गया कि:–</u>

प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में मसोमात शनिचरी गोवालिन पति – चुरामन गोवाला के नाम से दर्ज है। आवेदक/अपीलार्थी सर्वे खतियानी रैयत के वंशज नही है, तथा अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण दाखिल नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के मध्यवर्ती खेवटदार विश्वनाथ साहू थे तथा जमीन्दार रामगढ़ राजा थे। खतियानी रैयत द्वारा जमीन्दार के लगान नही देने के कारण उक्त प्रश्नगत जमीन का Abandon हो गया तथा निलामी में विपक्षी मोहन तिवारी के पूर्वज शिवनारायण तिवारी एवं सुखदेव तिवारी दोनों वल्द स्व0 काली तिवारी द्वारा हासिल किया गया। तत्पश्चात् शिवनारायण तिवारी एवं सुखदेव तिवारी उक्त प्रश्नगत जमीन पर दखल काबिजकार हुए, तथा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रशीद प्राप्त किये। साथ ही जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात सरकार ने रैयत मानकर सरकारी रशीद निर्गत किया गया, जो लगातार वर्ष 2024–25 तक राजस्व रशीद निर्गत है। विपक्षी ने आगे अभिकथन किया है कि प्रश्नगत भूमि पर नीलामी में हासिल करने के समय से ही दखल कब्जा है तथा वर्तमान में भी विपक्षी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा स्वामित्व है। लगभग 100 वर्ष बीत जाने के बाद आवेदक द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर सर्वे रैयत के वंशज होने का दावा करते हुए सरकारी रशीद निर्गत करने का आवेदन अंचल में दिया था, जो काल बाधित है। साथ ही आवेदक या उसके पूर्वज के नाम कभी भी पंजी – II में डिमाण्ड नहीं खुला है। आवेदक द्वारा फर्जी जमीन्दारी व सरकारी रशीद दाखिल किया गया है। अतः अपीलार्थीगण का प्रस्तुत अपील आवेदन खारिज किया जाय।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त तथ्यों, विवेचनाओं, संबंधित राजस्व अभिलेख तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये तर्को/पक्षों व दाखिल कागजातों के आधार पर निष्कर्ष में पाता हूं कि प्रस्तुत मामला हक – हकीयत से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है तथा अंचल अधिकारी के आदेश में भी हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अंचल अधिकारी हंटरगंज द्वारा वाद सं0 64/2021 में पारित आदेश दिनांक – 06.04.2022 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी अभिलेख के साथ वापस भेजे। असंतुष्ट पक्ष अपीलीय/सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

भू. सु. उपसंभाहर्त्ता
चतरा।

भू. सु. उपसंभाहर्त्ता
चतरा।

Digitally signed by VAIBHAV KUMAR SINGH
Date: 2025.08.12 16:55:19 +05:30
Location: 2401:4900:7676:702:ec6e:822:d13c:f372

Scanned with CamScanner